

श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24 जून, 2024 को मुख्य सचिव सभागार (भू-तल), उत्तराखण्ड सचिवालय में आहूत जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा संचालित Global Environment Facilitate (GEF) वित्त पोषित GEF-6 Project "Green-Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environmental Benefits and the Conservation of Critical Biodiversity and Forest Landscapes" की राज्य स्तरीय संचालन समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

[बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्नक-1 पर है]

सर्वप्रथम श्रीमती नमामी बंसल, परियोजना निदेशक, जैफ-6 द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित राज्य स्तरीय संचालन समिति के समस्त सदस्यों एवं रेखीय विभागों के नोडल अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् उप निदेशक, नियोजन/जैफ-6 द्वारा समिति के सम्मुख जैफ-6 परियोजना का संक्षिप्त विवरण एवं अद्यतन प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के उपरान्त बैठक हेतु निर्धारित एजेंडा बिन्दुओं पर किये गये विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णय का बिन्दुवार विवरण निम्नवत हैः—

एजेंडा बिन्दु	बिन्दु पर विचार-विमर्श	अभ्युक्ति/निर्णय
एजेंडा बिन्दु -1	<p>स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की चतुर्थ बैठक दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का अनुमोदन।</p> <p>उप निदेशक, जैफ-6 द्वारा विगत बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार कृत कार्यवाही से समिति को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—</p> <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना रु0 516.19 लाख के सापेक्ष कुल रु0 307.38 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भ की गई कतिपय गतिविधियां यथा दो अध्ययन— Sustainable Energy Alternatives व incentives for reviving agrobiodiversity तथा Green Landscape Information Platform (GLIP) गतिविधि अन्तर्गत कम्प्यूटर सेट क्य आदि वि0 वर्ष 2024–25 में भी गतिमान रहेंगी, जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2024–25 में किया जायेगा। Green Landscape Plan Implementation Support गतिविधि अन्तर्गत चेन लिंक फेन्सिंग, सौलर लाईट, चैफ कटर वितरण, मौन पालन, उन्नत बीज वितरण आदि प्रमुख कार्य किये गये। चतुर्थ बैठक में अध्यक्ष महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024–25 में एक वृहद केन्द्राभिसरण 	



एजेंडा बिन्दु	बिन्दु पर विचार—विमर्श	अभ्युक्ति/निर्णय
	<p>कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। कार्ययोजना 2024–25 में उक्त कार्यशाला हेतु धनराशि रु0 5.20 लाख का प्राविधान किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> परियोजना अन्तर्गत केन्द्राभिसरण पर बल दिया जा रहा है एवं केन्द्राभिसरण के माध्यम से की गई गतिविधियों का Documentation भी किया जा रहा है। <p>समिति से विगत बैठक के कार्यवृत्त के एजेंडा बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।</p>	<p>समिति द्वारा विगत बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।</p>
एजेंडा बिन्दु –2	<p>GEF-6 परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWPB) रु0 947.14 लाख का अनुमोदन।</p> <p>उप निदेशक, जैफ-6 द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित कार्ययोजना रु0 947.14 लाख की तैयार की गई है।</p> <p>प्रस्तावित कार्ययोजना में विगत वित्तीय वर्षों की अवशेष गतिविधियाँ/कार्य (गतिमान/आरम्भ नहीं हुये), जोकि धनराशि रु0 313.84 लाख के हैं, भी सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में धनराशि रु0 633.30 लाख की नवीन गतिविधियाँ/कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्तावित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं—</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ विभिन्न विषयों पर 3 राज्य स्तरीय संवाद। ✓ Investment Plans Implementation in the landscape. ✓ Green Value Chain तथा Local procurement for social safety net programs विषयों पर अध्ययन। ✓ जिला स्तर पर एक वृहद केन्द्राभिसरण कार्यशाला। ✓ कृषि, पशुपालन, गवर्नेंस पर फार्मर फील्ड स्कूल प्रशिक्षण एवं स्थापना। ✓ Ecotourism सम्बन्धी कार्यशालायें। ✓ मूल्य श्रंखला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। ✓ परियोजना क्षेत्र में विभिन्न लाभार्थीपरक गतिविधियाँ। 	



एजेंडा बिन्दु	बिन्दु पर विचार—विमर्श	अभ्युक्ति / निर्णय
	समिति से वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWPB) रु 947.14 लाख के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।	समिति द्वारा परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना रु 947.14 लाख का अनुमोदन किया गया।
एजेंडा बिन्दु-3	<p>GEF-6 परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक Procurement Plan तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित Procurement Plan का अनुमोदन।</p> <p>उप निदेशक, जैफ-6 द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● परियोजना के कियान्वयन हेतु स्थापित दो Units- State Project Management Unit (SPMU), Dehradun व Green Landscape Implementation Unit (GLIU), Pauri में सुचारू परियोजना कार्य सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में आवश्यकतानुसार क्रय किये गये Goods, Works & Services का वास्तविक विवरण Procurement Plan के रूप में अनुमादन हेतु प्रस्तुत किया गया है। ● उक्त के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024–25 में SPMU एवं GLIU में क्रय किये जाने वाले Goods, Works & Services का प्रस्तावित/अनुमानित विवरण Procurement Plan के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है— ● परियोजना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में Green Landscape plans implementation support गतिविधि के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थीपरक गतिविधियों के कियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री/अन्य क्रय। ● तीन State dialogue on agriculture environment and development गतिविधि हेतु फर्म/एकल कंसल्टेन्ट्स का चयन। ● दो विषयों यथा Study on Green Value Chains एवं Study on local procurement for Social safety net programs पर अध्ययन हेतु योग्य संस्था/एकल कंसल्टेन्ट का अनुबन्ध के आधार पर चयन। ● Green Landscape Information Platform गतिविधि अन्तर्गत 	

एजेंडा बिन्दु	बिन्दु पर विचार—विमर्श	अभ्युक्ति/निर्णय
	<p>44 Desktop Setup का क्रय।</p> <ul style="list-style-type: none"> SPMU/GLIU में कम्प्यूटर/लैपटॉप, प्रिन्टर, फर्नीचर, कार्यालय सामग्री आदि का क्रय। SPMU/GLIU अन्तर्गत आवश्यक विषय विशेषज्ञों का क्रय। <p>समिति से वित्तीय वर्ष 2022–23 के वास्तविक Procurement Plan तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित Procurement Plan के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।</p>	<p>समिति द्वारा परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक Procurement Plan एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित Procurement Plan का अनुमोदन किया गया।</p>
एजेंडा बिन्दु-4	<p>GEF-6 परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत अनुबन्ध/आउटसोर्स पदों/कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन।</p> <p>उप निदेशक, जैफ-6 द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना के अन्तर्गत State Project Management Unit (SPMU), Dehradun व Green Landscape Implementation Unit (GLIU), Pauri हेतु स्वीकृत अनुबन्ध/आउटसोर्स पदों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि करने हेतु समिति के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत है—</p> <ul style="list-style-type: none"> पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता व अनुभव, कार्यभार, दिया गया अन्तिम पारिश्रमिक आदि के दृष्टिगत 15 से 25 प्रतिशत। मानव संसाधन की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पारिश्रमिक में वृद्धि अनिवार्य है। अधिकांश पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को परियोजना प्रारम्भ वर्ष 2019 में नियत पारिश्रमिक ही प्राप्त हो रहा है। 05 वर्ष उपरान्त भी उनके पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं की गई है। महँगाई दर में वृद्धि तथा परियोजना क्षेत्र की दुर्गम परिस्थिति/आवागमन में असुविधा के दृष्टिगत। दिनांक 25 व 26 अप्रैल 2024 को NPMU, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने हेतु आयोजित कार्यशाला में कार्मिकों के पारिश्रमिक वृद्धि सम्बन्धी 	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि चूँकि उपनल संस्था के माध्यम से रखे जाने वाले आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय उपनल संस्था द्वारा ही निर्धारित होता है, जोकि पूर्ण राज्य में एकरूपता से लागू है, अतः किसी विभाग विशेष के लिये मानदेय में वृद्धि सम्भव नहीं है। तथापि आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि हेतु NPMU Delhi/FAO की स्वीकृति उपरान्त पृथक से प्रस्ताव यथावश्यक तैयार कर उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किया जा सकता है।</p>



एजेंडा बिन्दु	बिन्दु पर विचार—विमर्श	अभ्युक्ति / निर्णय
	<p>हुये विचार—विमर्श में NPMU द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुबन्ध/आउटसोर्स पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक का आहरण 5570 Consultants Head से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि परियोजना अवधि हेतु इस मद के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹0 13.27 करोड़ उपलब्ध है। प्रस्तावित पारिश्रमिक वृद्धि के उपरान्त एवं प्रस्तावित परियोजना विस्तार की स्थिति में (वर्ष 2028 तक) भी उक्त मद में कुल ₹0 2.75 करोड़ की बचत होगी। <p>समिति से परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत अनुबन्ध/आउटसोर्स पदों/कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।</p>	
एजेंडा बिन्दु-5	<p>GLIU पौड़ी प्रभाग अन्तर्गत रिक्त चल रहे Community Resource Person (CRP) के पदों को, उपनल के माध्यम से योग्य कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में, अन्य आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से भरने का अनुमोदन।</p> <p>उप निदेशक, जैफ-6 द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि—</p> <ul style="list-style-type: none"> परियोजना अन्तर्गत Green Landscape Implementation Unit (GLIU), Pauri हेतु Community Resource Person (CRP) के 20 पद स्वीकृत हैं। पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता कृषि/औद्यानिकी/पशुपालन में स्नातक के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में 03 से 05 वर्षों का कार्य अनुभव है। यह पद उपनल संस्था के माध्यम से भरे जाते रहे हैं। उपनल संस्था द्वारा उक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित योग्यता एवं कार्यानुभव वाले योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिस कारण वर्तमान में CRP के 06 पद रिक्त चल रहे हैं। पूर्व में परियोजना अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर 99 ग्रामों का चयन कर परियोजना कार्य किये जा रहे थे, जिनकी संशोधित संख्या वर्तमान में 739 ग्राम हो जाने के कारण इन क्षेत्रों में Green Landscape 	<p>अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि रिक्त चल रहे Community Resource Person (CRP) के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की प्राप्ति /तैनाती हेतु राज्य सरकार के प्रयाग पोर्टल या आउटसोर्स कार्मिकों की भाँति विज्ञापन के माध्यम से चयन किया जा सकता है। यदि उपयुक्त हो तो वर्तमान में निदेशालय अन्तर्गत चयनित HR Agency के माध्यम से भी उक्त मानव संसाधन प्राप्त</p>

एजेंडा बिन्दु	बिन्दु पर विचार—विमर्श	अभ्युक्ति / निर्णय
एजेंडा बिन्दु	<p>Management Plan (GLMP) की गतिविधियां कियान्वित करने हेतु NPMU/FAO द्वारा इस वित्तीय वर्ष में CRP के 15 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> अर्थात् वर्तमान में CRP के कुल 21 पद भरे जाने हैं। विगत एक वर्ष से उपनल संस्था रिक्त चल रहे CRP के 06 पदों पर कार्मिक उपलब्ध नहीं करा पाया है। उप परियोजना निदेशक, जैफ-6, पौड़ी द्वारा इस आशय का पत्र/प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है। रिक्त पदों की अधिक संख्या एवं उपनल संस्था द्वारा योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने में उत्पन्न हो रही कठिनाई के दृष्टिगत रिक्त CRP के पदों को अन्य आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से भरने पर विचार किया जा सकता है। <p>समिति से GLIU पौड़ी प्रभाग अन्तर्गत रिक्त चल रहे Community Resource Person (CRP) के पदों को, उपनल के माध्यम से योग्य कार्मिक उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में, अन्य आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से भरने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।</p>	किये जा सकते हैं।
एजेंडा बिन्दु-6	<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।</p> <p>अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के उद्देश्यों की सराहना करते हुये बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।</p>	

(नमामी बंसल IAS)

सदस्य,

राज्य स्तरीय संचालन समिति,

परियोजना निदेशक (जैफ-6),

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।

अनुमोदित,

(आनन्द बर्द्धन IAS)

अध्यक्ष,

राज्य स्तरीय संचालन समिति,
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।